खण्डः 2, अंकः 1 जनवरी 2019

संश्लेषण

डी सी आर सी हिन्दी मासिक पत्रिका

इतिहास शोधन: जन्मभूमि आंदोलन

डी.सी.आर.सी.
विकासशील राज्य शोध केन्द्र
दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2018

रूपाकंनः आर किशोर

संश्लेषण

मुख्य कथ्यः इतिहास शोधनः जन्मभूमि आंदोलन

अनुक्रमिका i

संपादकीय ii

1. इतिहास शोधन की सीमाएं और जन्मभूमि आन्दोलन 1–2
– अभिषेक नाथ
2. राम जन्मभूमि आंदोलनः एक ऐतिहासिक विश्लेषण 3–4
– अजय कुमार शाह
3. श्रीराम का चरित्र व विचारः राष्ट्रीय एकता का विकल्प 5–6
– लोकेश कुमार
4. अयोध्या और पहचान की राजनीति – कुँवर प्रांजल सिंह 7–8
5. अयोध्या–अधिकारो का युद्ध या राजनीतिक सियासत 9–10
– रजनी

सम्पादकीय

हम अत्याधिक हर्ष सहित विकासशील राज्य शोध केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय की हिन्दी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के षष्ट्म अंक को प्रकाशित कर रहे हैं। समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों द्वारा समसामयिक विषय पर अपने सामूहिक लेखों द्वारा शोध वास्तविकताओं के प्रकटीकरण के माध्यम से हिन्दी भाषा को प्रचारित, प्रसारित एवं प्रमाणित करने की हमारी यह पहल संश्लेषण के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। वर्ष 2019 का संश्लेषण का यह प्रथम अंक सभी पाठकों को प्रेषित किया जा रही है।

वर्ष 2019 का जनवरी माह भारत के सांस्कृतिक आंदोलन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। 1980 के दशक के पश्चात पुनः अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैधिाक एवं अकादमीय दृष्टि से एक नव–विमर्श की ओर अग्रसर होने लगा। 'राम लला हम आएगें, मंदिर वहीं बनाएगें' के नारों ने राजनीति के समस्त गलियारों को 2019 के प्रारंभ से ही पुर्नजीवित कर दिया। राम आंदोलन का यह वाद–विषय न केवल राजनीतिक व सांस्कृतिक आंदोलन से संबंधित रहा है अपितु न्यायपालिका की पहल से संपूर्ण विषय इतिहास शोधन के रूप में और अधिक अहम हो गया।

विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने 'इतिहास शोधनः जन्मभूमि आंदोलन' विषय पर लेख आमंत्रित किये। पांच उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख न केवल राम जन्मभूमि आंदोलन के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत कर रहे हैं अपितु भारत के इतिहास शोधन की आवश्यकता एवं इसकी महता को भी उदृत करने का प्रयास कर रहे हैं।

संश्लेषण के षष्ट्म अंक के समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन से संबंधित आधारभूत बिंदुओं को भी प्रकट करते हैं। लेखकों के विचार स्वतंत्र चिंतन के परिचायक हैं तथा सम्पादकीय मंडल ने इनकी मौलिकता को संपादन के माध्यम से किसी भी प्रकार प्रभावित व परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया है। व्यक्तिगत लेखों में प्रस्तुत तथ्य एवं मत लेखकों की रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदृशित करते हैं।

संश्लेषण के षष्ट्म अंक में प्रकाशित लेखों पर पाठकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम वर्ष 2019 के फरवरी माह के अपने द्वितीय समसामयिक तथा महत्वपूर्ण अंक में और अधिक गुणवत्ता लाने का प्रयास करेंगे।

संपादक मंडल

बृहस्पतिवार, 14 फरवरी 2019

1

इतिहास शोधन की सीमाएं और जन्मभूमि आन्दोलन

अभिषेक नाथ
राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

इतिहास से तात्पर्य उन चित्रित या लिखित दस्तावेजों (पुरालेख) से है जिनकी सत्यता को पुरालेखिक खुदाई के द्वारा इतिहासकारों और समाजवैज्ञानिकों द्वारा स्थापित की जाती है. इस अर्थ में समाज विज्ञान के रूप में इतिहास के साथ दो पहलु महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है.

पहला, जो लिखित नहीं है उसे इतिहास का अंग के रूप में शामिल करना चुनौतीपूर्ण है और ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि इतिहास के रूप में उनका दावा कमजोर पड़ जाता है. दूसरी महत्त्ववपूर्ण बात यह है कि लिखित सन्दर्भों का ऐतिहासिक खुदाई के द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है. इसके बिना भी वैज्ञानिक इतिहास लेखन में इन अभिलेखों का सत्यता का दावा कमजोर हो जाता है. यह गौर करना भी अतिआवश्यक है कि ये दोनों ही मुद्दे इतिहास लेखन की राजनीति का भी निर्धारना करते है जिसका लक्ष्य अपने हित साधन के लिए इतिहास का चित्रण करना है.

ऐसा माना जाता है कि इतिहास विजेताओं का रहा है अर्थात इतिहास लेखन में सम्भ्रांत वर्ग और विजेताओं ने स्वयं का महिमामंडन और सामान्य जन और पराजितों को निकृष्ट दिखाया है और उन्हें इतिहास में समुचित स्थान और महत्त्व नहीं दिया है.

अगर भारत के सन्दर्भ में बात की जाए तो न केवल यहाँ के शासकों ने वरन यहाँ आने वाले आक्रमणकारियों ने अपने विजय प्रदर्शन के रूप में और अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए न केवल इतिहास लेखन का सहारा लिया बल्कि स्थानीय जनता की सांस्कृतिक पहचानों के ऊपर अपनी पहचान आरोपित करने का प्रयास किया. समाजवैज्ञानिक शोधों ने यह स्थापित किया है कि भारत में मूर्ति बना कर पूजा करने और मंदिरों के निर्माण सर्वप्रथम जैन–बौद्ध अनुयायियों ने किया. जिसे प्राचीन काल में अशोक जैसे कई शासकों ने बढ़ावा दिया. लेकिन जैसे ही हिन्दू धार्मिक मान्यताओं का पुनरुथान हुआ इन्होने न केवल जैन– बौद्ध क्रियाओं का अनुकरण कर हिन्दू देवी देवताओं की मूर्ति और मंदिरों का निर्माण हुआ बल्कि कई जैन–बौद्ध मंदिरों को हिन्दू देवी–देवताओं के मंदिरों के रूप में परिवर्तित किया गया. उदाहरंण स्वरूप मगध में मौर्य वंश के बाद आये सुंग वंश ने ऐसा किया. यह प्रक्रिया बड़े पैमाने पर मुस्लिम आक्रान्ताओं के भारत आने और फिर यही बस जाने के बाद मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के रूप में देखने को मिला.

आज भारत के विभिन्न भागों में कई हिन्दू मंदिरों के ऊपर या उनसे सटे मस्जिदों को आमतौर पर देखा जा सकता है. यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति को समझने और वैज्ञानिक इतिहास लेखन के नाम

पर अंग्रेजों ने भी समाज के सम्भ्रांत वर्ग द्वारा व्याख्यायित और प्रचारित ग्रंथों और तथ्यों का सहारा लिया.

अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि इतिहास एकपक्षीय भी हो सकता है और यह सम्पूर्ण सत्य नहीं दिखता और इतिहास लेखन आलोचनाओं से परे नहीं है. अब महत्वपूर्ण यह जानना है कि जब पराजित वर्ग और सामान्य जन समाज में और इतिहास में अपनी उपस्थिति और सही पहचान के लिए संघर्षरत हो तो क्या इतिहासिक तथ्यों के पुनर्लेखन और सही करने का ही विकल्प सामने आता है या हमें इससे इत्तर सोचने की आवश्यकता है.

भारत में उपरोक्त संदर्भ में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद एक ऐसा ही मसला है जिसमे हिन्दू मंदिर के ऊपर मस्जिद के निर्माण और मस्जिद के ढाँचे को धार्मिक आस्था से पूरित भीड़ द्वारा गिराने तथा अब मंदिर पुनर्निर्माण की मांग का मसला सड़क से संसद और न्यायपालिका तक को अपने में समेट चूका है. जहाँ एक पक्ष इसे बहुसंख्यक हिदू धार्मिक मान्यतों को महत्व देने की बात करता है तो दूसरा पक्ष अपने सामुदायिक धार्मिक मूलाधिकार के हनन का मामला मानता है. एक पक्ष उन विद्वानों का भी है जो राम और उनसे जुडी मान्यताओं पर ही प्रश्न उठता है और इसे काल्पनिक और सत्य से परे मानता है क्योंकि साहित्यिक लेखों का खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों से मेल नहीं है.

अब अगर हम इसे हिन्दू आस्थाओं को सम्मान के रूप में स्वीकार कर ले तब ऐसे हजारों मंदिरों के लिए भी दावे आ सकते है. एक प्रमुख धार्मिक संगठन ने यह मांग की है कि काशी, मथुरा, जैसे महतवपूर्ण हिन्दू धार्मिक स्थलों पर हिन्दू धार्मिक आस्थाओं को स्वीकार किया जाना चाहिए. अब अगर ऐसे ही दावे जैन–बौद्ध संप्रदाय द्वारा हिन्दू मंदिरों के सन्दर्भ में और शैव और वैष्णव संप्रदाय द्वारा एक दुसरे के विरुद्ध किया जाने लगे तब एक ऐसी स्तिथि उन्पन्न होगी जहां हम हर समुदाय को दुसरे के विरुद्ध खड़ा पाएंगे और इतिहास में सुधारों की एक अनवरत मांग शुरू हो जाएगी.

भारतीय संस्कृति आपसी सौहार्दपूर्ण सहस्तित्व की बात करती है और हिन्दू आस्था उसका एक महत्वपूर्ण अंग है. उन तथ्यों में जरुर सुधार होने चाहिए जैसे की इतिहास की पुस्तकों में भगत सिंह जैसे क्रान्तिकारियो को आतंकवादी बताना. क्योंकि आज जिस सदर्भ में हम आतंकवाद को समझते है वह हमारे स्वतत्रता सेनानियों का एक गलत चित्रण है जो हमारे विद्यार्थिओं को भ्रमित कर सकता है. किन्तु हर इतिहासिक घटना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता. आपसी सौहार्द से इन मुद्दों को सुलझाने का प्रयास एक ज्यादा उचित कदम हो सकता है. विकल्प के रूप में हम इन इतिहासिक तथ्यों को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक शिक्षा के तौर भी संरक्षित कर सकते है ताकि ऐसी गलतियाँ भविष्य में ना दोहराई जाए और एक ज्यादा सहनशील समाज का निर्माण हो जिसमे सभी समुदायों को उनकी सही पहचान और स्थान मिल सके.

♦♦♦♦♦

2

राम जन्मभूमि आंदोलनः एक ऐतिहासिक विश्लेषण

अजय कुमार शाह
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

प्राचीन महाकाव्य व महागाथाएँ है, इन सबमें दो सबसे प्रचलित महागाथाएँ, महाभारत व रामायण है, जो केवल धर्म के तात्पर्य और सूक्ष्मभेदों को जानने का माध्यम ही नहीं बल्कि भारतीय समाज की सभ्यता, संस्कृति व आस्था का प्रतीक है द्य इन दोनों महागाथाएँ से जुड़े कोई भी प्रतीक भारतीय संस्कृति व आस्था का प्रतीक है द्य इस आस्था के प्रतीक स्वरूप मे भारतीय समाज के अधिकांश लोगों का यह मानना है कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, इसलिए यहाँ एक भाव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए द्य इसी कड़ी मे लोगों द्वारा भव्य मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन चलाया गया द्य इस लेख मे राम जन्मभूमि के निर्माण मे चलाये जा रहे आंदोलन व इसके गतिविधि का इतिहासिक विश्लेषण कर चर्चा करेगे।

ऐसा माना जाता है कि पाँच सौ साल पहले लगभग 1528 मे बाबर नामक मुगल शासक ने अयोध्या मे ऐसे स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया, जहाँ हिन्दू संप्रदाय से संबन्धित भगवान राम का मंदिर पहले से ही बना हुआ था(पुरातत्व विभाग को वह मंदिर होने के अनेकों साक्ष्य मिले है) द्य 1853 में इस मंदिर को लेकर हिन्दू और मुस्लिमों के बीच दंगा हुआ द्य ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दों के संवेदनशीलता को देखते हुये यह निर्णय लिया कि इन दोनों क्षेत्रों का विभाजन कर दिया जाए और ब्रिटिश सरकार ने तारों की बाड़ बना दिया, एक भाग मे हिंदुओं को व दूसरे भाग मे मुस्लिमों को प्रार्थना करने की इजाजत दी।

1885 मे महंत रघुबर दस ने फैजाबाद अदालत में राम मंदिर निर्माण के लिए अपील दायर की परंतु उसकी कई वर्षो से सुनवाई नहीं हुई द्य अपील के कई दशको बाद 23 दिसंबर, 1949 को तकरीबन 50 हिंदुओं ने वहाँ कथित रूप से मूर्ति रख कर मूर्ति पुजा करना आरंभ कर दिया, तथा 5 दिसंबर 1950 को को फिर महंत रामचन्द्र ने पुजा पाठ जारी रखते हुए मुकदमा दायर किया द्य इसी मुकदमे से मस्जिद को ढांचा का नाम दिया द्य 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़ा ने इस विवादित स्थल को हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा दायर किया।

हिंदुओं द्वारा दायर मुकदमे के जबाब मे मुस्लिमों की तरफ से यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1 फरवरी 1961 मे मस्जिद के मालिकाना हक के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया द्य दो दशकों तक यह मामला अदालत में रहा और इस बीच दोनों समुदाय से कोई बड़ी गतिविधि नहीं हुई द्य 1984 मे विश्व हिन्दू परिषद ने मस्जिद का ताला खोलने व मंदिर के निर्माण के लिए देशभर मे अभियान चलाया, कुछ सालो में भारतीय जनता पार्टी ने इसे औपचारिक समर्थन दिया द्य इस कड़ी में 1 फरवरी 1986 को

फैजाबाद अदालत ने लंबी चुप्पी के बाद हिंदुओं को पुजा करने की इजाजत दी और ताले खोले गए द्य इस पर मुस्लिम समुदाय नाराज हो गया और विरोध मे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया

इस रथ यात्रा से बहुत अधिक मात्रा मे हिन्दू लोग लामबंद हुये, और मंदिर निर्माण के लिए सड़क पर उतर गए द्य इसी बीच यूपी में भा॰ज॰ पा॰ की सरकार थी यहाँ मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सरकारी तौर पर मस्जिद के आस–पास की 2.77 एकड़ भूमि को अधिकार मे ले लिया द्य जमीन को सरकार के अधिकार में लेने के एक साल बाद पूरे देश भर मे रामजन्म भूमि आंदोलन से जुड़े कारसेवक अयोध्या आए और 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद ढाह कर अस्थाई मंदिर बना दिया द्य इस घटना के बाद देश के कई क्षेत्रों मे सांप्रदायिक दंगे हुये द्य इस आंदोलन से भा॰ज॰पा॰ को फ़ायदा होते देख कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण करना शुरू किया, और कांग्रेस सरकार ने मस्जिद पुननिर्माण का वादा कर दिया द्य इस घटना के बाद इस समस्या का हल निकालने के लिए कई आयोग, विभाग व महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई जैसे–

16 दिसंबर 1992 को एम.एस. लिब्रहान आयोग का गठन।

2002 मे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या विभाग शुरू किया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या मे सवेक्षण के दौरान मंदिर होने के अवशेष प्राप्त किए।

2009 को एम.एस. लिब्रहान आयोग ने प्रधानमंत्री को 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट सौपी।

2010 मे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया की पूरी भूमि रामजन्म भूमि की है और उसे हिन्दू गुटो को दे दिया जाए व अन्य कई विकल्प बताए।

मुस्लिम गुटों ने 2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को नहीं माना और सर्वोच्च न्यायलय में इस फैसलो को चुनौती दी द्य इस प्रकार 2010 से लेकर अब तक इसका फैसला सर्वोच्च न्यायलय मे है, हर तारीख पर एक नई तारीख मिल जाती है द्य आंदोलन अब भी जारी है.....

6 दिसंबर की घटना के बाद राम–मंदिर आंदोलन राजनीतिक मुद्दा बन गया है द्य राजनीतिक मुद्दा बनाने पर तकरीबन हर राजनीतिक दल को कमोबेश लाभ मिला द्य कई राजनेता की तो राजनीतिक जमीन भी इस आंदोलन से बनी है जिसमे मुलायम सिह यादव व लालूप्रशाद यादव सबसे ऊपर रहे द्य कांग्रेस 6 दिसंबर की घटना के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण कर मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर लामबंद किया द्य भारतीय जनता पार्टी को रामजन्म भूमि आंदोलन से औपचारिक रूप से जुडने पर पहले कुछ सालो मे नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को कई राज्य मे हार का सामना करना पड़ा जैसे–जैसे यह आंदोलन मजबूत हुआ भारतीय जनता पार्टी का देश भर में विस्तार हुआ, इस विस्तार के कारण ही वह कई बार केंद्रीय सत्ता मे आई।

रामजन्म भूमि आंदोलन का सबसे सकारात्मक परिवर्तन यह आया है की पहले ज़्यादातर लोग व मंदिर बनाने का खुल कर विरोध करते थे, परंतु अब बड़े–बड़े राजनीतिक दल भी इसका विरोध नहीं कर रही है, यह एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है द्य परंतु लोगों को अभी भी इंतजार है की राम–मंदिर को वास्तविक ढ़ाचा कब दिया जाएगा इसलिए आंदोलन अभी जारी है.

♦♦♦♦♦

3

श्री राम का चरित्र एवं विचारः राष्ट्रीय एकता का विकल्प

लोकेश कुमार
शोधार्थी, अफ्रीकी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भगवान श्रीराम युगों–युगों से भारत की राष्ट्रीयता के नियामक चित्र के रुप में स्थापित है। भारतीय संस्कृति का स्वरुप श्रीराम के चरित्र के दर्पण में पूर्णता प्रतिबिंबित होती है। यदि हम श्री राम का विस्तृत रूप से अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि सुशासन, सुव्यवस्था, सदाचार, शांति ही नहीं अपितु उत्तर से लेकर दक्षिण तक वनवासी, गिरवासी समाज को एकता के सूत्र में पिरोकर, एक उदाहरण स्थापित करने का महान कार्य किया था। श्रीराम का चरित्र समाज की धारा की नियामक धुरी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि राम सत्य और नैतिकता की प्रतिमूर्ति, आदर्श पुत्र, आदर्श पति और सबसे ऊपर आदर्श राजा हैं।

इतिहासकार इरफ़ान हबीब तथा अन्य विचारकों ने यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया था "रामचरितमानस" के रचयिता तुलसीदास जी ने राम मंदिर विध्वंस का रामायण में कहीं भी उल्लेख नही किया। जबकि उन्हें यह पता ही नहीं की गोस्वामी जी की बहुत सी रचनाएँ रही हैं जिनमें एक 'तुलसी शतक' भी है जिसमें उन्होंने विभिन्न दोहों के माध्यम से विस्तृत रूप से अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्म भूमि होने का उल्लेख किया है, जिसे बाद में श्री नित्यानन्द मिश्र ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अयोध्या विवाद की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत भी किया।

श्री राम जन्मभूमि विवाद का ऐतिहासिक विवरण

रामायण और रामचरित मानस के अनुसार अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था और इसको तोड़कर ही बाबर ने मस्जिद का निर्माण किया गया था, इसी कारणवश पिछले सैंकड़ों वर्षों से राम जन्मभूमि विवाद का कारण रही है। हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच इस स्थल को लेकर पहली बार 1853 में विवाद हुआ। इस विवाद को देखते हुए अंग्रेजों ने सन् 1859 में नमाज के लिए मुसलमानों को अन्दर का हिस्सा और हिन्दुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने का आदेश दिया । मदिर के अंदर के हिस्से को अंग्रेजी हुकूमत ने लोहे से घेराबंदी लगाते हुए हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया था। यहीं से इस विवाद का निर्माण होता है क्यूंकि अंग्रेजों द्वारा एक धर्म विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए हिंदुओं की आस्था और भावनाओं को आहत किया गया । यहीं से ये विवाद उलझता चला गया और इस स्थल को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में वैमनस्यता की खाई बढ़ती चली आ रही है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सन् 1949 में विवादित ढांचे के अंदर वाले हिस्से में भगवान राम की मूर्ति

रखी गई। तत्कालीन नेहरू सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव और विवाद को बढ़ता देख विवादित ढांचे में ताला लगवा दिया। सन् 1986 में राजीव गाँधी की सरकार में फैज़ाबाद जिला जज ने उक्त स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। इसने वर्षों से थमे विवाद को एक नया मोड़ दे दिया।

इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश से सरकार ने 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के पुरातत्व विशेषज्ञों का एक दल भेजकर उस स्थान का उत्खनन कराया गया, जिससे कि मंदिर या मस्जिद होने का प्रमाण मिल सके। पुरातत्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट में विवादित ढांचे के नीचे 10वीं शताब्दी के मंदिर की उपस्थिति का संकेत दिया, परन्तु मुस्लिम समूहों ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसी कारणवश विवादित मामले को लेकर उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा 30 सितंबर 2010 को विशेष पीठ के तीन जजों जस्टिस एसयू खान, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने बहुमत से निर्णय दिया और विवादित स्थल को तीन भागों में बांट दिया। फैसले में कहा गया कि विवादित स्थल भगवान राम की जन्मभूमि है और वहां से रामलला कि प्रतिमाओं को ना हटाने का आदेश दिया। इस भूमि में से एक तिहाई हिस्सा राम मंदिर के लिए रामलला विराजमान का प्रतिनिधित्व करने वाले हिंदुओं को देने का निर्णय सुनाया गया और एक तिहाई हिस्सा निर्मोही अखाड़े को देने का निर्णय सुनाया और साथ ही एक तिहाई हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का निर्णय सुनाया।

इस निर्णय में भले ही विभिन्न पक्षों के दावों को लेकर विवादित स्थल वाली 2.7 एकड़ भूमि को तीन भागों में बांटा गया हो, लेकिन अदालत द्वारा एक महत्वपूर्ण पुष्टि जो अपने निर्णय में की गई, वह भगवान श्री राम के जन्म स्थान को लेकर की गयी, जिसमें कहा गया कि विवादित स्थल भगवान राम का जन्म स्थान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि निर्णय में कहा गया कि मुगल बादशाह बाबर द्वारा बनवाई गई विवादित मस्जिद इस्लामी कानूनों व मूल्यों के अनुरूप नहीं थी। न्यायालय ने भले ही इस निर्णय में उस स्थान पर राम मंदिर के निर्माण का आदेश न दिया हो, परन्तु इस निर्णय से सदियों से आहत हिंदुओं की भावनाओं और उनके संघर्ष को सम्मान मिला।
हाल में जिस प्रकार का वातावरण व्याप्त है उसको देखकर उच्चतम न्यायालय ने भी इस विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाने की अपील की है और कोर्ट से बाहर हल निकालने में मध्यस्थता करने की भी पेशकश की है। जिसका भाजपा सहित कई पक्षों और अधिकतर लोगों ने स्वागत किया है। लेकिन वहीं कुछ पक्षों ने उच्चतम न्यायालय से ही निर्णय सुनाने की अपील की है। अब देखने वाली बात होगी कि निकट भविष्य में इस मामले पर सभी पक्षों द्वारा क्या प्रयास होता है। अगर आपसी सहमति से कोर्ट के बाहर उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता में प्रयास होता भी है तो उसका क्या परिणाम होगा।

श्री राम ने अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करना बताया। उनके जीवन से हमें एक बेदाग और मर्यादा पूर्ण जीवन जीने की सीख मिलती है। श्री राम का उदाहरण लोगों को उनके पथ पर चलने और हमें अपने विचारों, शब्दों एवं कर्म में उत्कृष्टता पाने के लिए प्रयास करने हेतु प्रेरित करता है।

♦♦♦♦♦

4

अयोध्या और पहचान की राजनीति

कुँवर प्रांजल सिंह
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता तथा सफलतम लोकतांत्रिक राजनीति तथा व्यवस्था के बीच हम नागरिक बनने का दावा करते हैं। यह दावा संवैधानिक आधारशिला पर अडिग होकर खड़ा है। यह अडिगता स्वयं में हमे एक भारतीय होने की पहचान भी प्रदान करती है। परंतु यह पहचान विविधता तथा बहुधार्मिक व्यवहारों से किस प्रकार सामंजस्य बनाती है? यह प्रश्न स्वयं में ही विचारशील अवस्था मे विद्यमान है। क्योंकि किसी भी एक राष्ट्र का पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य होने का और सभी धर्मों को समान महत्व देने दावा व्यवहारिक रूप से पूर्णतः संभव नही होता।

पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था एक अमूर्त कल्पना मात्र होती है। ऐसी व्यवस्था में व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपनी व्यक्तिपरक और संकीर्ण समूहगत वफ़ादारियों से ऊपर उठेगा। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति प्राथमिक रूप से समुहगत जुड़ाव के बगैर सामाजिक व्यवस्था के बीच बना रह सके, यह लगभग असंम्भव है। (शालिनी,मेहता.1992.द एटर्नल वेवः हिन्दू मुस्लिम रिलेशन)

यघपि, ज्यों–ज्यों वक़्त गुजरता जा रहा है, यह बात और भी साफ होती जा रही है कि विभाजित पहचान को ही बढ़ावा मिल रहा है। उदाहरणस्वरूप 'हम हिन्दू और वे मुसलमान' यह शब्दावली काफी प्रचलित रही है, जिसमें अयोध्या संघर्ष या रामजन्मभूमि आंदोलन के समय और बाद में हुए दंगो ने एक असुरक्षा के वातावरण को तेजी से स्थापित किया है, जो राजनीति का उत्प्रेरक तत्व भी बन गया है। इससे मानसिक अवरोध तथा अलगाव का जन्म हुआ है, जो राज्य के सेकुलरवादी आचरण को प्राप्त करने के लिए साम्प्रदायिक जैसी शब्दावली या जिसकी परिभाषा में हिंसा एक आवश्यक तत्व के रूप में विद्यमान होता है, इसे ही प्रचारित किया जाता है। इसकी व्यापक त्रुटियों पर दृष्टिपात करें तो एक अच्छे–खासे दस्तावेजों की इमारत तैयार की जा सकती है। क्रम से कम देखें तो पुरानी आदान–प्रदान की उस प्रक्रिया की जड़ों को झकझोर दिया है जिसे इतिहास में कला और शिल्प, भाषा और संगीत, खान–पान और वेशभूषा रीतिरिवाज और पंरपरा तथा उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण जीवन और उसके मूल्यों के प्रति समान दृष्टिकोण में अभिव्यक्ति होती रही थी। जिसे इतिहास के आतातइयों ने भी नष्ट नही किया। अब मंदिर–मस्जिद के नाम पर दरकिनार किया जा रहा है।

मंदिर का बनना या मस्जिद का गिरना यह एक राजनीतिक प्रक्रिया का केंद्र हो सकता है। न्यायलय इस पर फैसला ले सकती है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि संस्थागत फैसले और राजनीतिक गलियारा तैयार करने के चक्कर में समाज का ताना–बाना नहीं टूटना चाहिए। राम–मंदिर में आरती में अगर ढोलक कि नाल को अगर किसी मुसलमान के द्वारा ठीक किया जाता है और एक हिन्दू उसे बजा

कर भक्तिमय होता हो, यह समाज के अंदर व्याप्त सौहार्द्र तथा सहिष्णुता को दर्शाता है ना कि भारत के धर्मनिरपेक्ष होने का प्रमाण है।

भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लगभग 100 करोड़ की आबादी है। स्वाभाविक है कि इस स्थिति में भारत के समक्ष धार्मिक समस्या हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी स्वीकार करना होगा कि यह देश बड़ी हिम्मत से इन समस्याओं का मुकाबला कर रहा है। इस मुकाबले में हर धार्मिक समुदाय शामिल है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे किसी भी प्रकार से लोकतंत्र की प्रक्रिया में अवरोधक या उस प्रक्रिया को समाप्त करने का कारण नही बनने दिया।

इस देश मे लोकतंत्र को सभी प्रकार कि विविधता ने स्वीकार है और अपनी पहचान से ऊपर उठ कर सींचा भी है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अयोध्या या राममंदिर एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है। जिस पर लिया गया कोई भी निर्णय समाज को समावेशी तभी बना सकता है जब वह धार्मिक विविधता तथा समाज के ताने–बाने को ध्यान में रखकर लिया जाए।

♦♦♦♦♦

5

अयोध्या–अधिकारो का युद्ध या राजनीतिक सियासत

रजनी
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

संपत्ति तथा अधिकार तथा इन दोनो पर होने वाली राजनीति जिसके प्रमाण प्राचीन समय से ही देखे जा सकते है फिर भले ह ीवह भारत हो या विदेश। इसी प्रकार के विवाद में एक विवाद जो पुराने समय से चलता आ रहा है जिसे रामजन्म भूमि/बाबरी मस्जिद अर्थात अयोध्या विवाद भारत में एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक–धार्मिक बहस है, जो अयोध्या शहर में भूमि के एक भूखंड पर केंद्रित है, यह अयोध्या जिला, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें मुख्य मुद्दे हिंदुओं के बीच पारंपरिक रूप से हिंदू देवता राम की जन्मभूमि के रूप में माने जाने वाले स्थल तक घूमते हैं, दूसरी ओर बाबरी मस्जिद का इतिहास और स्थान है।

बाबरी मस्जिद को एक राजनीतिक रैली के दौरान नष्ट कर दिया गया था, जो 6 दिसंबर 1992 को एक दंगे में बदल गया। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भूमि शीर्षक का मामला दर्ज किया गया था, जिसका फैसला 30 सितंबर 2010 को सुनाया गया था। लैंडमार्क सुनवाई में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों ने फैसला किया कि अयोध्या की 2.77 एकड़ (1.12 हेक्टेयर) भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें 1/3 राम लल्ला या शिशु राम के पास जाएगी, जो राम मंदिर के निर्माण के लिए हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व करेंगे। 1/3 इस्लामिक सुन्नी वक्फ बोर्ड और शेष 1/3 हिंदू धार्मिक संप्रदाय निर्मोही अखाड़ा जा रहे हैं। जबकि तीन न्यायाधीशों वाली बेंच इस बात पर एकमत नहीं थी कि विवादित ढांचे का निर्माण किसी मंदिर के विध्वंस के बाद किया गया था, लेकिन उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि मंदिर या मंदिर का ढांचा एक ही स्थान पर मस्जिद से पहले था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई को अदालत द्वारा सबूत के रूप में इस्तेमाल किया गया था कि पूर्ववर्ती संरचना एक विशाल हिंदू धार्मिक इमारत थी।

इस प्रकार यहां प्रश्न यह उठता है कि यह विवाद सिर्फ राजनीतिक बहस को ही लिए हुए है या इसके साथ–साथ अधिकारों की बहस को शामिल किए हुए है? यदि हाँ तो वह अधिकार किसके खैमे में आते है मानवता के खैमे में, धर्म के खैमे में या फिर उस अधिकारों के खैमे में जो राजनीति के द्वारा तैयार किए गए अधिकारों की श्रेणी में आते है। क्या यहाँ सच में धर्म की राजनीति की सियासत कार्य कर रही है या सियासत की राजनीति अपना दाँव खेल रही है। क्योंकि जिस प्रकार इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा इस पर निर्णय में 2.77 एकड़ विवादित भूमि को तीन बराबर हिस्सो में बाँटा गया उस निर्णय का आधार संपत्ति के अधिकारों में विवाद होने को दर्शाता है वहीं दूसरी ओर कोर्ट के द्वारा फैसले दिए जाने पर उस पर असहमति व आपसी सहमति का होना सांप्रदायिकता और राजनीति की सियासत को दर्शाता है जिसका अहम मुद्दा चुनावों को लेकर हो सकता है क्योंकि इस मुद्दे का प्रारंभ 450 वर्षो पहले

हुआ था जिसे इलाहाबाद कोर्ट के बाद लटके 8 वर्ष हो गए है।
अयोध्या मुद्दा सियासी मुद्दे में बदलते प्रारूप का नतीजा है जिसमें लोग अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इस मुद्दे को आसानी से हल नहीं होने देना चाहते क्योंकि यह मानवता की सियासत करने वाले, मानवता और एकता के स्थान पर धर्म की सियासत पाले हुए है जहां समाज विकास की ओर अग्रसर के स्थान पर अवरूद्ध होता आ रहा है। यह विवाद जो की संपत्ति और अधिकारों के बीच के विरोध को लिए है यदि सैद्धांन्तिक तौर पर संपत्ति को समझा जाए तो संपत्ति मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान करती है और स्वतंत्रता का सुख भी इसी पर आधारित है। वहीं यदि बात अधिकारों की की जाए तो अधिकार व्यक्ति और राज्य के परस्पर संबंध को दर्शाता है जिसमें दो बातों को मुख्य रूप से लिया जाता है जिसमें पहला है–एक व्यक्ति को राज्य से क्या–क्या प्राप्त होना चाहिए ये उसके अधिकार है। वहीं दूसरी ओर, व्यक्ति को राज्य के लिए क्या–क्या करना चाहिए।

हेराल्ड जे. लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्म–विकास की आशा नहीं कर सकता। सैद्धान्तिक तौर पर इस प्रकार की परिभाषा जो अधिकार को लेकर दी गई है वह इस विवाद के मध्य नजर से किसी भी प्रकार के विकास की ओर अग्रसर होती नहीं दिखाई पड़ती या इस मुद्दे का समकालीन होना और समकालीन परिस्थिति में मानवता और समाज के विकास को उपनिवेशी कार्यो के दृष्टिकोण से देखना मात्र उद्देश्य रह गया है जिसका कार्य सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता के स्थान पर साम्प्रदायिकता की ओर उन्मुख राज्य है जिसमें सिर्फ कुछ ही लोगो के द्वारा पूरे राज्य को इसके बुरे नतीजों का मुंह देखना पड़ रहा है क्योंकि जिस प्रकार सैद्धांन्तिक तर्को के आधार पर इस मुद्दे को देखा गया है वहीं यदि व्यवहारिक तर्को के दृष्टिकोण के आधार पर इस मुद्दे को देखा जाए तो जहाँ यह मुद्दा जन्मा है वहाँ की जनता अपनी रोज़ी रोटी और अपने सामान्य व्यवहारों के साथ अपना जीवन बसर करती आ रही है भौगोलिक तौर पर हिंदू–मुस्लिम के प्रति भेदभाव जैसे रवैये भी न के बराबर ही देखने को मिलते है तथा जब जब यह मुद्दा अपने चरम पर होता है या तूल पकड़ता है तब तब इस मामले में शामिल होने वाले कुछ सत्ताधारी ही होते है जो अराजक तत्वों की तरह किसी शांतिपूर्ण समाज में घुस कर बवाल करते है और यह तत्व उस धर्म व वर्ग से बहुत परे होते है जो इन शब्दों का प्रयोग कर इनकी सियासत करना जानते है और इस प्रकार की सियासत दोनो पक्षो अर्थात हिंदू व मुस्लिम दोनो ही वर्गो को प्रभावित करती है।

♦♦♦♦♦

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली–110007

www.dcrc.du.ac.in office@dcrc.du.ac.in @dcrcofficial +91-11-27666281